VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

केंद्रीय बजट का सारांश 2024-2025

बजट क्या है?

- **संविधान के अनुच्छेद 112** के अनुसार, बजट को सरकार के **वार्षिक वित्तीय विवरण (Annual Financial Statement)** के रूप में जाना जाता है।
  - गौरतलब है कि संविधान में **"बजट" शब्द का उल्लेख नहीं** किया गया है।
- यह एक वित्त वर्ष में **सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण** होता है।
- वित्त मंत्रालय का **आर्थिक कार्य विभाग** (DEA) बजट तैयार करने के लिए उत्तरदायी **नोडल निकाय** है।
- हालांकि, 2024 आम चुनाव वाला वर्ष था, इसलिए सरकार ने **1 फरवरी, 2024 को अंतरिम बजट** भी पेश किया था।
  - **अंतरिम बजट एक अल्पकालिक वित्तीय उपाय** है। इसके जरिए चुनाव तक सरकारी खर्चों के लिए धनराशि का प्रावधान किया जाता है।
  - **संसद अंतरिम बजट के माध्यम से लेखानुदान पारित** करती है। लेखानुदान सरकार को वेतन और हो रहे व्ययों (जैसे आवश्यक सरकारी खर्चों आदि) के लिए संसदीय मंजूरी प्राप्त करने की अनुमति देता है।
  - अंतरिम बजट के लिए **कोई संवैधानिक प्रावधान** नहीं है।

बजट का वर्गीकरण

राजस्व बजट

सरकार की कर और गैर-कर राजस्व प्राप्तियां एवं व्यय सहित

पूंजीगत बजट

सरकार की पूंजीगत प्राप्तियां और भुगतान सहित

बजट के दो भाग

भाग A:

यह बजट का **व्यापक यानी समष्टि अर्थशास्त्रीय हिस्सा है।** इसके तहत सरकार की अलग-अलग योजनाओं और प्राथमिकताओं की घोषणा की जाती है। इसके तहत अलग-अलग क्षेत्रकों के लिए निधि भी आवंटित की जाती है।

भाग B:

यह **वित्त विधेयक** से संबंधित होता है। इसमें आयकर संबंधी संशोधन और अप्रत्यक्ष कर जैसे कराधान प्रस्ताव शामिल होते हैं।

प्रमुख बजट संबंधी दस्तावेज

वित्त मंत्री के बजट भाषण के अलावा, निम्नलिखित दस्तावेज संसद में प्रस्तुत किए जाते हैं-

- वार्षिक वित्तीय विवरण **(संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत);**
- अनुदान की मांगें **(अनुच्छेद 113 के तहत);**
- वित्त विधेयक **(अनुच्छेद 110 के तहत)**
- राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम, 2003 के तहत अनिवार्य राजकोषीय नीति विवरण:
  - मैक्रो-इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट;
  - मध्यम अवधि की राजकोषीय नीति सह राजकोषीय नीति रणनीति विवरण।

अन्य व्याख्यात्मक दस्तावेज

- व्यय बजट;
- प्राप्ति बजट;
- व्यय प्रोफ़ाइल;
- बजट एक नज़र में;
- वित्त विधेयक में प्रावधानों की व्याख्या करने वाला ज्ञापन;
- आउटपुट परिणाम निगरानी फ्रेमवर्क; तथा
- बजट 2024-25 की मुख्य विशेषताएं।

बजट प्रक्रिया

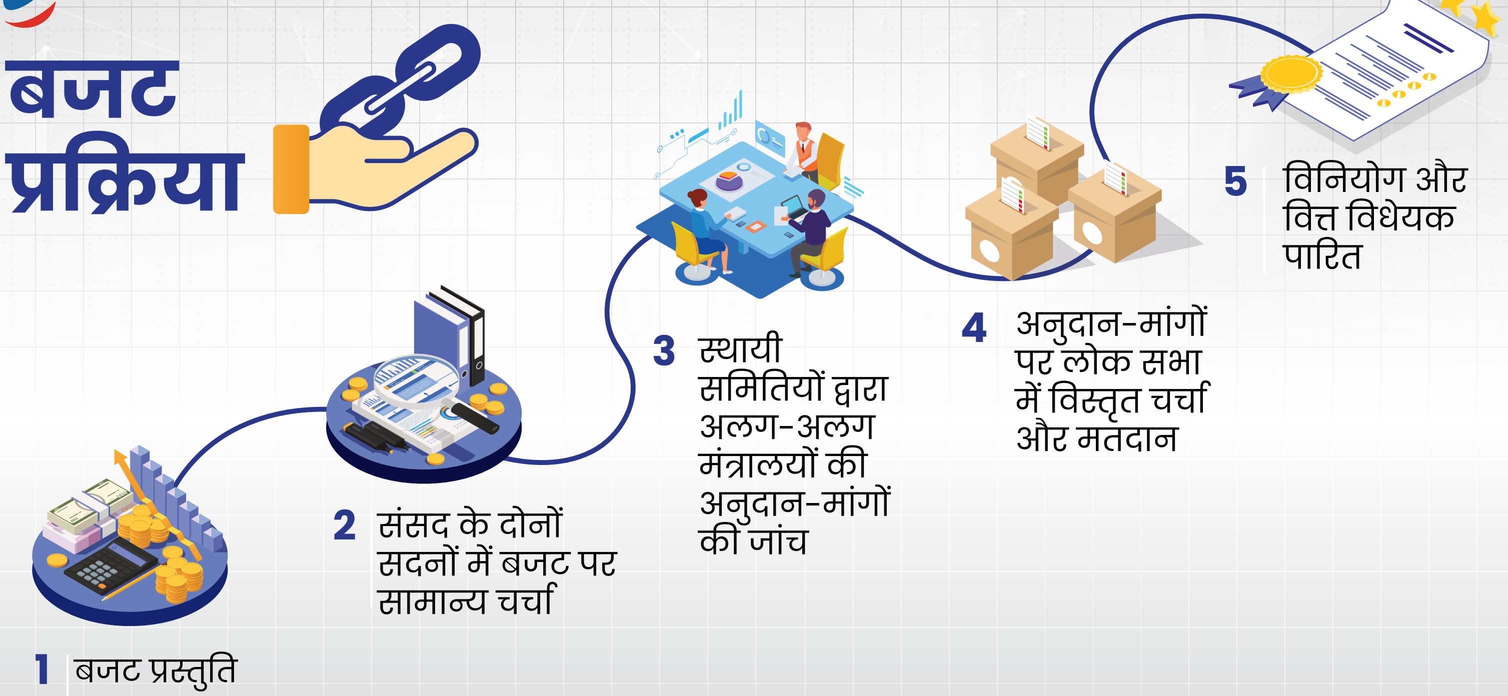

बजट का इतिहास

- **स्वतंत्रता पूर्व:**
  - भारत में पहली बार बजट **7 अप्रैल, 1860** को पेश किया गया था।
  - बजट प्रस्तुत करने वाले पहले **वित्त सदस्य जेम्स विल्सन** थे।
  - अंतरिम सरकार के सदस्य **लियाकत अली खान** ने 1947-48 का बजट प्रस्तुत किया था।
- **स्वतंत्रता के बाद:**
  - स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री **आर.के. षणमुखम चेट्टी ने 26 नवंबर, 1947** को पहला बजट पेश किया था।
  - तब से, बजट की प्रक्रिया विकसित हुई है और लोक वित्त प्रबंधन के लिए एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में उभरी है। साथ ही, **बजट हमारी अर्थव्यवस्था को आकार देने में हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की क्षमताओं को भी दर्शाता है।**

भाग- A

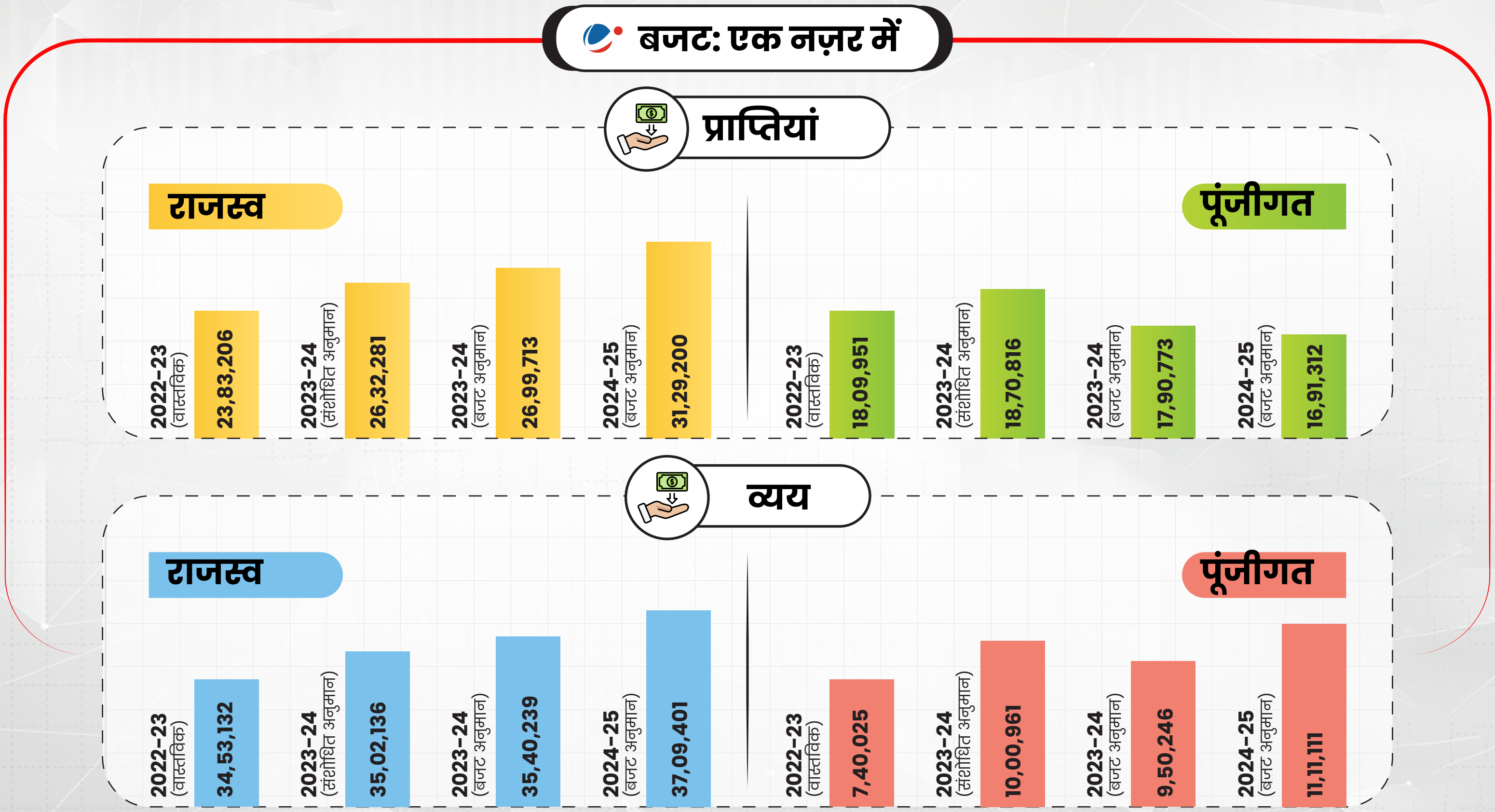
बजट: एक नज़र में
प्राप्तियां
राजस्व
2022-23 (वास्तविक) 23,83,206
2023-24 (संशोधित अनुमान) 26,32,281
2023-24 (बजट अनुमान) 26,99,713
2024-25 (बजट अनुमान) 31,29,200
पूंजीगत
2022-23 (वास्तविक) 18,09,951
2023-24 (संशोधित अनुमान) 18,70,816
2023-24 (बजट अनुमान) 17,90,773
2024-25 (बजट अनुमान) 16,91,312
व्यय
राजस्व
2022-23 (वास्तविक) 34,53,132
2023-24 (संशोधित अनुमान) 35,02,136
2023-24 (बजट अनुमान) 35,40,239
2024-25 (बजट अनुमान) 37,09,401
पूंजीगत
2022-23 (वास्तविक) 7,40,025
2023-24 (संशोधित अनुमान) 10,00,961
2023-24 (बजट अनुमान) 9,50,246
2024-25 (बजट अनुमान) 11,11,111

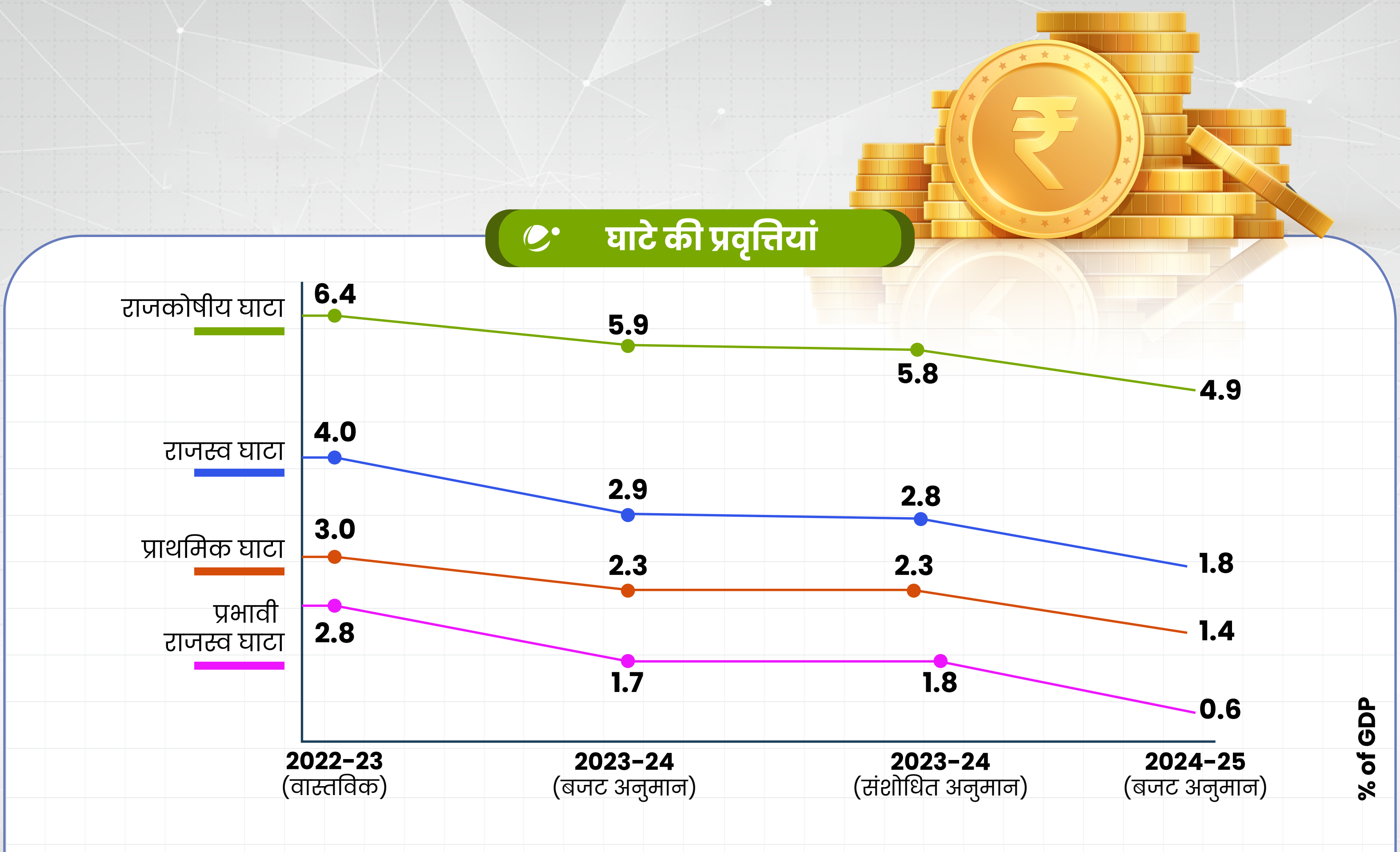
घाटे की प्रवृत्तियां
राजकोषीय घाटा
6.4
5.9
5.8
4.9
राजस्व घाटा
4.0
2.9
2.8
1.8
प्राथमिक घाटा
3.0
2.3
2.3
1.4
प्रभावी राजस्व घाटा
2.8
1.7
1.8
0.6
2022-23 (वास्तविक)
2023-24 (बजट अनुमान)
2023-24 (संशोधित अनुमान)
2024-25 (बजट अनुमान)
% of GDP

4 मुख्य वर्गों पर ध्यान

गरीब

अन्नदाता

युवा

महिलाएं

बजट थीम

- रोजगार
- कौशल विकास
- MSMEs
- मध्यम वर्ग

'विकसित भारत' के लिए बजट में 9 प्राथमिकताएं

- कृषि में उत्पादकता और लचीलापन
- रोजगार एवं कौशल
- समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय
- विनिर्माण एवं सेवाएं
- शहरी विकास
- ऊर्जा सुरक्षा
- अवसंरचना
- नवाचार, अनुसंधान एवं विकास
- अगली पीढ़ी के सुधार

प्राथमिकता 1: कृषि क्षेत्रक में उत्पादकता और लचीलापन

कृषि अनुसंधान की ओर

- उत्पादकता बढ़ाने और **जलवायु अनुकूल किस्मों** को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कृषि अनुसंधान व्यवस्था की व्यापक समीक्षा की जाएगी।
- **नई किस्मों को जारी करना:** किसानों द्वारा खेती करने के लिए **32 क्षेत्रीय और बागवानी फसलों की 109 नई उच्च उपज** वाली तथा जलवायु परिवर्तन अनुकूल किस्में जारी की जाएंगी।

प्राकृतिक खेती

- अगले 2 वर्षों में प्रमाणन और ब्रांडिंग के जरिए देश भर में **1 करोड़ किसानों** को प्राकृतिक खेती में शामिल किया जाएगा।
- 10,000 **आवश्यकता-आधारित जैव-इनपुट संसाधन केंद्र** स्थापित किए जाएंगे।

दलहन और तिलहन के लिए मिशन

- अंतरिम बजट में घोषित **सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन और सूरजमुखी** जैसे तिलहनों के लिए **'आत्मनिर्भरता' प्राप्त** करने हेतु रणनीति बनाई जा रही है।

सब्जी उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला

- सब्जी उत्पादन के लिए **बड़े पैमाने पर क्लस्टर्स प्रमुख उपभोग केंद्रों** के करीब विकसित किए जाएंगे।
- सरकार **सब्जी के संग्रहण, भंडारण और विपणन सहित उसकी आपूर्ति श्रृंखलाओं** के लिए किसान-उत्पादक संगठनों, सहकारी समितियों और स्टार्ट-अप्स को बढ़ावा देगी।

कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI)

- सरकार, राज्यों के साथ साझेदारी में **3 वर्षों** में किसानों और उनकी भूमि के कवरेज के लिए कृषि में DPI के कार्यान्वयन की सुविधा प्रदान करेगी।
- DPI का उपयोग करके **400 जिलों** में खरीफ के लिए डिजिटल फसल सर्वेक्षण किया जाएगा।
- 6 करोड़ किसानों और उनकी जमीनों का विवरण **किसान और भूमि रजिस्ट्रियों** में लाया जाएगा।
- 5 राज्यों में **जनसमर्थ आधारित किसान क्रेडिट कार्ड** जारी किए जाएंगे।

झींगा उत्पादन एवं निर्यात

- झींगा ब्रूडस्टॉक्स हेतु **न्यूक्लियस ब्रीडिंग सेंटर्स का एक नेटवर्क स्थापित** करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- **झींगा पालन, प्रसंस्करण और निर्यात के लिए नाबार्ड के माध्यम से वित्त-पोषण** की सुविधा प्रदान की जाएगी।

राष्ट्रीय सहयोग नीति

- इसे **सहकारी क्षेत्र के सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध एवं सर्वांगीण विकास** हेतु प्रस्तावित किया जाएगा।

प्रधान मंत्री पैकेज के तहत पहलें

A. रोजगार से जुड़े प्रोत्साहन

योजना A: पहली बार काम करने वाले युवाओं के लिए (फर्स्ट टाइम एम्प्लॉई)	➤ **सभी औपचारिक क्षेत्रकों में** कार्यबल का हिस्सा बनने वाले सभी नए व्यक्तियों को **एक महीने का पारिश्रमिक** दिया जाएगा। ➤ **पात्रता सीमा:** योजना में शामिल होने के लिए प्रतिमाह **अधिकतम एक लाख रुपये तक का वेतन** होना चाहिए। ➤ **किश्तें:** EPFO में पंजीकृत पहली बार नियोजन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को **एक महीने का वेतन 15,000 रुपये तक प्रत्यक्ष बैंक अंतरण (DBT) के जरिये तीन किस्तों** में दिया जाएगा।
योजना B: विनिर्माण क्षेत्रक में रोजगार सृजन	➤ यह **विनिर्माण क्षेत्रक में फर्स्ट टाइम एम्प्लॉई** के लिए है। ➤ **पहले 4 वर्षों में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) में अंशदान के लिए कर्मचारी और नियोक्ता, दोनों को प्रोत्साहन** दिया जाएगा। ➤ यदि **फर्स्ट टाइम एम्प्लॉई** की सेवाएं उसकी **नियुक्ति के 12 महीनों के अंदर समाप्त** कर दी जाती है, तो नियोक्ता द्वारा सब्सिडी लौटाई जाएगी।
योजना C: नियोक्ताओं को सहायता	➤ सरकार सभी नए कर्मचारियों के लिए **2 साल तक नियोक्ताओं के 3000 रुपये प्रतिमाह तक के EPFO अंशदान अपनी ओर से प्रदान** करेगी। ➤ इस योजना में सभी क्षेत्रकों में **1 लाख रुपये प्रति माह तक के वेतन वाले सभी अतिरिक्त नियोजनों** (Employment) को कवर किया जाएगा। ➤ **नए कर्मचारियों को EPFO में नए प्रवेशकर्ता** होने की आवश्यकता नहीं है।

B. कौशल विकास

चौथी योजना	➤ यह राज्य सरकारों और उद्योग के सहयोग से **कौशल विकास** के लिए **नई केंद्र प्रायोजित योजना** है। ➤ इसके तहत **5 साल की अवधि में 20 लाख युवाओं को कौशल प्रदान करने** का लक्ष्य रखा गया है। ➤ 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को **हब एंड स्पोक मॉडल** में परिणाम आधारित संस्थान के रूप में अपग्रेड किया जाएगा।
पांचवीं योजना	➤ यह **5 साल में 1 करोड़ युवाओं को 500 शीर्ष कंपनियों में इंटर्नशिप के अवसर** प्रदान करने की व्यापक योजना है। इसमें कंपनियों की भागीदारी स्वैच्छिक होगी। ➤ **इंटर्नशिप प्राप्त करने वालों को 5,000 रुपये का मासिक भत्ता और 6,000 रुपये की एकमुश्त सहायता** प्रदान की जाएगी। ➤ **5,000 रुपये** के मासिक भत्ते के साथ **12 माह की प्रधान मंत्री इंटर्नशिप** भी प्रदान की जाएगी।

प्राथमिकता 3:
समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय

- **सैचुरेशन यानी संपूर्ण अप्रोच:** लोगों खासकर किसानों, युवाओं, महिलाओं और गरीबों का सर्वांगीण, सर्वव्यापी एवं सर्व-समावेशी विकास सुनिश्चित किया जाएगा।
  - शिक्षा और स्वास्थ्य सहित सभी अलग-अलग योजनाओं एवं कार्यक्रमों के सभी पात्र लोगों को इनमें शामिल किया जाएगा। साथ ही, उनकी क्षमताओं में सुधार करके उन्हें सशक्त भी बनाया जाएगा।
- **पूर्वोदय: विकास भी, विरासत भी**
  - यह संसाधनों से भरपूर **बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश** जैसे पूर्वी राज्यों के सर्वांगीण विकास की एक योजना है। इसका उद्देश्य इन राज्यों में आर्थिक अवसर पैदा करके विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करना है।
  - **अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारा** विकसित किया जाएगा, जिसमें **गया में एक औद्योगिक नोड** का विकास भी शामिल है।
- **आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम:**
  - वित्त वर्ष 2024-25 में 15,000 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की व्यवस्था की जाएगी।
  - **पोलावरम सिंचाई परियोजना को पूरा** किया जाएगा, ताकि राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
  - **विशाखापत्तनम-चेन्नई औद्योगिक गलियारे में कोप्पर्थी नोड और हैदराबाद-बेंगलुरु औद्योगिक गलियारे में ओर्वाकल नोड** में जल आपूर्ति, बिजली आपूर्ति, रेलवे, सड़क जैसी आवश्यक अवसंरचनाएं विकसित की जाएंगी।
- **प्रधान मंत्री आवास योजना:** प्रधान मंत्री आवास योजनाओं (ग्रामीण एवं शहरी) के तहत देश में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में तीन करोड़ अतिरिक्त घर बनाए जाएंगे।
- **महिलाओं के नेतृत्व में विकास:** बजट में महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक आवंटित किए गए हैं।
- **प्रधान मंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान**
  - इसके तहत **63,000 गांवों को कवर करते हुए जनजातीय समुदायों** की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार किया जाएगा। इससे **5 करोड़ जनजातीय लोगों को लाभ** पहुंचेगा।
- **पूर्वोत्तर में बैंक शाखाएं:** देश के पूर्वोत्तर राज्यों में **इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100** से अधिक शाखाएं खोली जाएंगी।

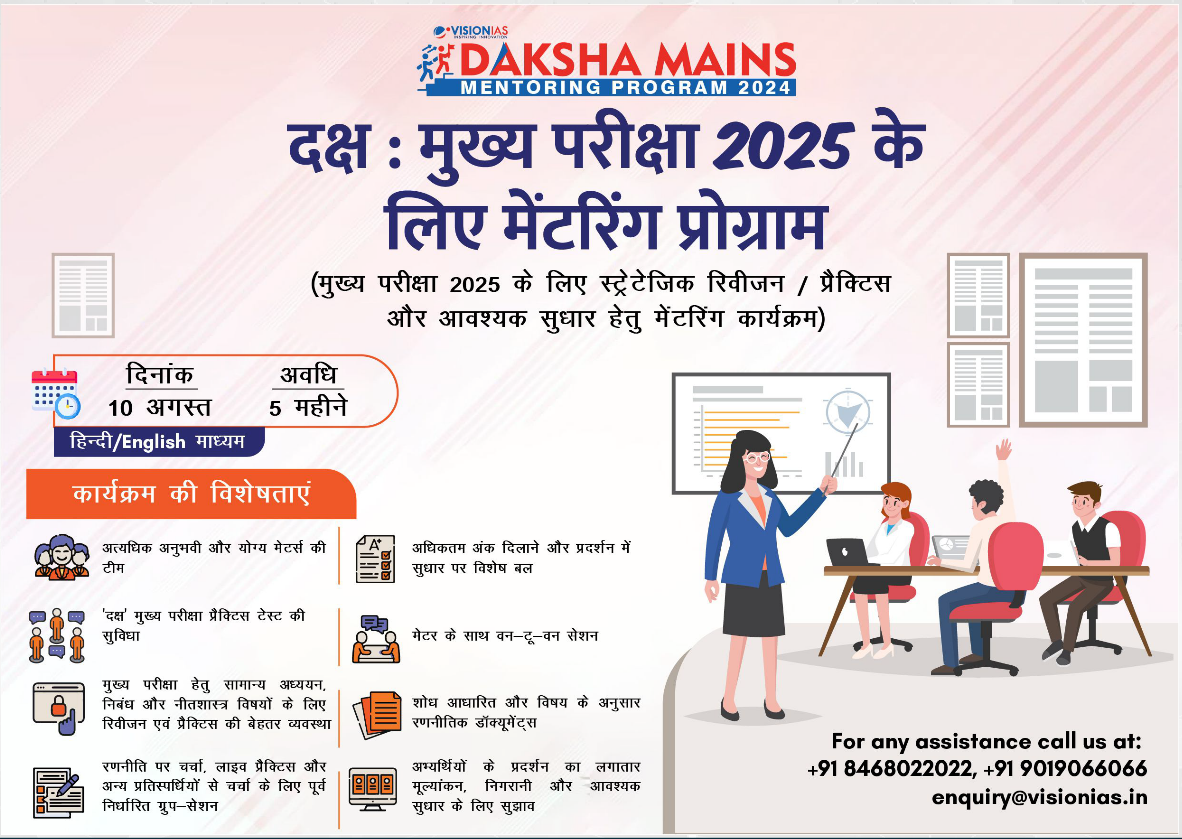

- **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को बढ़ावा देने के लिए सहायता:**
  - **विनिर्माण क्षेत्रक के MSMEs के लिए क्रेडिट गारंटी योजना: गिरवी (कोलेटरल) या थर्ड पार्टी गारंटी के बिना** मशीनरी और उपकरण की खरीद के लिए MSMEs को सावधि ऋण (टर्म लोन) देने हेतु, एक क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की जाएगी।
  - **MSMEs को ऋण देने के लिए नया मूल्यांकन मॉडल:** MSME की ऋण चुकाने की क्षमता का आकलन करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक किसी बाहरी संस्था पर निर्भर रहने की बजाय अपने यहां स्वयं सिस्टम विकसित करेंगे।
  - **आर्थिक संकट के दौरान MSMEs को ऋण सहायता:** MSMEs को उनके आर्थिक संकट के दौरान बैंक ऋण देने के लिए नई प्रणाली शुरू की जाएगी।
  - **मुद्रा ऋण: तरूण' श्रेणी** के अंतर्गत मुद्रा ऋणों की अधिकतम सीमा को मौजूदा **10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये** कर दिया गया है। हालांकि, इसका लाभ केवल उन उद्यमियों को ही मिलेगा, जिन्होंने इसी श्रेणी में लिए गए पहले के ऋणों को पूरी तरह चुका दिया है।
  - **TReDS में शामिल होने की अनिवार्यता का दायरा बढ़ाया गया:** खरीदारों को 'ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम' यानी TReDS प्लेटफॉर्म पर अनिवार्य रूप से शामिल करने के लिए टर्नओवर की पात्रता सीमा को **500 करोड़ रुपये से घटाकर 250 करोड़ रुपये** कर दिया गया है।
  - **MSMEs क्लस्टर्स में सिडबी की शाखाएं:** सिडबी 3 साल के भीतर सभी प्रमुख MSMEs क्लस्टर्स को अपनी वित्तीय सेवा प्रदान करने के लिए अपनी पहुंच का विस्तार करने हेतु नई शाखाएं खोलेगा और उन्हें सीधे ऋण प्रदान करेगा।
  - **खाद्य विकिरण, गुणवत्ता और सुरक्षा परीक्षण के लिए MSMEs इकाइयां:** MSMEs क्षेत्रक में 50 बहु-उत्पाद खाद्य विकिरण इकाइयां (मल्टी प्रोडक्ट फूड इरेडिएशन यूनिट्स) स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता देने की घोषणा की गई है।
  - **ई-कॉमर्स निर्यात केंद्र:** MSMEs और पारंपरिक कारीगरों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपने उत्पाद बेचने में मदद करने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मोड के तहत ई-कॉमर्स निर्यात केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
- **विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्रक को बढ़ावा देने के उपाय**
  - **औद्योगिक पार्क्स:** राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत बारह औद्योगिक पार्क्स को मंजूरी दी जाएगी।
    - **100 शहरों में या उसके आस-पास** संपूर्ण अवसंरचना के साथ निवेश हेतु तैयार **"प्लग एंड प्ले" औद्योगिक पार्क्स** को विकसित करने में सहायता दी जाएगी। इसके लिए नगर नियोजन से संबंधित योजनाओं का बेहतर उपयोग किया जाएगा तथा ये राज्यों और निजी क्षेत्रक की साझेदारी से विकसित किए जाएंगे।
  - **किराये का आवास:** औद्योगिक श्रमिकों के लिए डॉरमेट्री टाइप के आवास बनाए जाएंगे। ये आवास PPP मोड में **वायबिलिटी गैप फंडिंग (VGF)** और **प्रमुख उद्योगों के सहयोग** से बनाए जाएंगे।
  - **जहाजरानी उद्योग:** भारतीय जहाजरानी उद्योग की हिस्सेदारी बढ़ाने और अधिक रोजगार पैदा करने के लिये स्वामित्व, पट्टा तथा फ्लैगिंग सुधारों को लागू किया जाएगा।
  - **महत्वपूर्ण खनिज मिशन (क्रिटिकल मिनरल मिशन):** क्रिटिकल खनिजों के देश में ही उत्पादन, रिसाइक्लिंग और विदेशों में इन खनिजों के खदानों की प्राप्ति के लिए क्रिटिकल मिनरल मिशन स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है।
  - **खनिजों का अपतटीय खनन:** खनन के लिए अपतटीय ब्लॉक्स के पहले खंड की नीलामी की जाएगी। यह नीलामी पहले से ही खोजी गई (एक्सप्लोरेशन) खनिजों की होगी।
  - **डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) का उपयोग:** ऋण, ई-कॉमर्स, शिक्षा, स्वास्थ्य, विधि और न्याय, लॉजिस्टिक्स, MSME, सेवा प्रदायगी और अर्बन गवर्नेंस के क्षेत्र में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के उपयोगों को बढ़ावा दिया जाएगा।
  - **इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (IBC) इको-सिस्टम के लिए एकीकृत प्रौद्योगिकी प्लेटफार्म:** यह प्लेटफार्म निरंतरता, पारदर्शिता, समय पर प्रोसेसिंग और बेहतर निगरानी के द्वारा IBC के तहत सभी भागीदारों के लिए बेहतर परिणाम सुनिश्चित करेगा।
    - **सीमित देयता भागीदारी को स्वैच्छिक रूप से बंद करना:** LLPs को स्वैच्छिक रूप से बंद करने में समापन समय की प्रक्रिया को कम करने हेतु **सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सीलेरेटेड कॉरपोरेट एग्जिट (C-PACE)** की सेवाओं का विस्तार किया जाएगा।
    - **नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल और ऋण वसूली:** अतिरिक्त ट्रिब्यूनल्स स्थापित करने की घोषणा की गई है।

प्राथमिकता 5: शहरी विकास

- **ग्रोथ हब के रूप में शहर:** राज्यों के सहयोग से सरकार **'ग्रोथ हब के रूप में शहरों'** के विकास की सुविधा प्रदान करेगी।
  - इसे **आर्थिक और पारगमन योजना** और **नगर नियोजन योजनाओं** का उपयोग करके उप-शहरी क्षेत्रों के व्यवस्थित विकास के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा।
- **शहरों का रचनात्मक पुनर्विकास:** परिवर्तनकारी प्रभाव लाने हेतु मौजूदा शहरों के रचनात्मक ब्राउनफील्ड पुनर्विकास के लिए, सरकार सक्षम नीतियों, बाजार-आधारित तंत्र और विनियमन के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार करेगी।
- **ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट: 30 लाख से अधिक आबादी वाले 14 बड़े शहरों** के लिए ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट योजनाएं और रणनीतियां बनाई जाएगी।
- **शहरी आवास:** पी.एम. आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत **10 लाख करोड़ रुपये के निवेश से 1 करोड़ शहरी गरीबों** और मध्यम-वर्गीय परिवारों की आवास जरूरतों को पूरा किया जाएगा।
- **जल आपूर्ति और स्वच्छता:** बजट में **राज्य सरकारों तथा बहुपक्षीय विकास बैंकों** की साझेदारी में वित्तपोषण वाली परियोजनाओं के माध्यम से **100 बड़े शहरों में** जलापूर्ति, सीवेज उपचार, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तथा वित्तीय रूप से व्यावहारिक परियोजनाओं को बढ़ावा देने की बात कही गई है।
- **स्ट्रीट मार्केट:** स्ट्रीट वेंडर्स के जीवन में बदलाव लाने में **पी.एम. स्व निधि योजना की सफलता** को देखते हुए स्ट्रीट मार्केट का विकास करने का प्रस्ताव किया गया है।
  - सरकार द्वारा देश के चयनित शहरों में अगले पांच वर्षों तक प्रत्येक वर्ष **100 साप्ताहिक 'हाटों' और स्ट्रीट फूड केंद्रों के विकास** हेतु सहायता प्रदान करने के लिए एक योजना बनाई जाएगी।
- **स्टांप शुल्क:** केंद्र सरकार राज्यों को स्टाम्प शुल्क की दरें कम करने तथा महिलाओं द्वारा खरीदी गई संपत्तियों के लिए शुल्क और कम करने पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करेगी।

प्राथमिकता 6: ऊर्जा सुरक्षा

- **एनर्जी ट्रांजिशन:** रोजगार, विकास और पर्यावरणीय संधारणीयता की अनिवार्यताओं को संतुलित करने के लिए 'एनर्जी ट्रांजिशन पाथवे' पर पॉलिसी डॉक्यूमेंट जारी किया जाएगा।
- **पी.एम. सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना:** अंतरिम बजट में घोषणा के अनुरूप, **1 करोड़ परिवारों को हर माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्राप्त करने में सक्षम बनाने** के लिए रूफटॉप सोलर पैनल स्थापित करने के लिए पी.एम. सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू की गई है।
- **पंप्ड स्टोरेज पॉलिसी:** इसे विद्युत भंडारण और समग्र ऊर्जा उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा की बढ़ती हिस्सेदारी के साथ विद्युत आपूर्ति प्रणाली से एकीकरण के लिए जारी की जाएगी। गौरतलब है कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से बिजली उत्पादन हमेशा नहीं होता और इसलिए उनकी आपूर्ति निरंतर नहीं होती। ऐसी स्थिति में इनका भंडारण आवश्यक है ताकि जरूरत पड़ने पर इनकी आपूर्ति की जा सके।
- **स्मॉल तथा मॉड्यूलर परमाणु रिएक्टरों पर अनुसंधान और विकास:** परमाणु ऊर्जा विकसित भारत के लिए ऊर्जा उत्पादन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बनने की उम्मीद है। इस लक्ष्य की दिशा में, सरकार निम्नलिखित के लिए निजी क्षेत्रक के साथ साझेदारी करेगी:
  - **भारत स्मॉल रिएक्टर्स** की स्थापना के लिए।
  - भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर पर अनुसंधान एवं विकास के लिए।
  - परमाणु ऊर्जा के लिए नई प्रौद्योगिकियों का अनुसंधान एवं विकास।
- **'हार्ड टू एबेट' उद्योगों के लिए रोडमैप:** 'हार्ड टू एबेट' उद्योगों को वर्तमान **'परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड' मोड से 'इंडियन कार्बन मार्केट' मोड** में बदलने के लिए उचित नियम लागू किए जाएंगे।
- **पारंपरिक सूक्ष्म और लघु उद्योगों को समर्थन:** पीतल और सिरेमिक सहित 60 **क्लस्टर्स में पारंपरिक सूक्ष्म और लघु उद्योगों के निवेश-ग्रेड ऊर्जा ऑडिट** की सुविधा प्रदान की जाएगी।
  - इस योजना को अगले चरण में अन्य **100 कलस्टर्स में चलाया** जाएगा।

प्राथमिकता 7: अवसंरचना

- **केंद्र सरकार द्वारा अवसंरचना में निवेश:** सकल घरेलू उत्पाद का 3.4% पूंजीगत व्यय के लिए दिया जाएगा।
- **राज्य सरकारों द्वारा अवसंरचना में निवेश:** अवसंरचना में निवेश हेतु राज्यों को सहायता देने के लिए **ब्याज मुक्त दीर्घकालिक ऋण के लिए** बजट में **1.5 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।**
- **अवसंरचना में निजी निवेश:** निजी क्षेत्रक द्वारा अवसंरचना में निवेश को **वायबिलिटी गैप फंडिंग (VGF)** और सक्षम नीतियों और विनियमों के माध्यम से बढ़ावा दिया जाएगा।
  - बाजार आधारित **वित्त-पोषण फ्रेमवर्क** लाया जाएगा।
- **प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY): 25,000 ग्रामीण बस्तियों** को हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए PMGSY चरण-IV शुरू किया जाएगा।
- **सिंचाई और बाढ़ शमन:**
  - बिहार में **कोसी-मेची इंट्रा-स्टेट लिंक** और अन्य परियोजनाओं के लिए 11,500 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की गई है।

- सरकार **असम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम को** बाढ़, भूस्खलन इत्यादि से निपटने तथा अन्य संबंधित परियोजनाओं के लिए सहायता प्रदान करेगी।

- **पर्यटन:** बिहार में **विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर, महाबोधि मंदिर कॉरिडोर और राजगीर** का व्यापक विकास किया जाएगा।
  - **नालंदा विश्वविद्यालय को उसके गौरवशाली स्वरूप में पुनर्जीवित** करने के अलावा एक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा।
  - बजट में **ओडिशा के मंदिरों, स्मारकों, शिल्प कौशल, वन्यजीव अभयारण्यों, प्राकृतिक परिदृश्य और प्राचीन समुद्र तटों** के विकास के लिए सहायता प्रदान करने की घोषणा की गई है।

प्राथमिकता 8: नवाचार, अनुसंधान एवं विकास

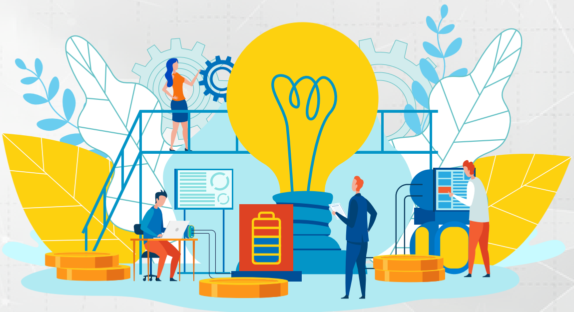

- **अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड:** इसका गठन आधारभूत अनुसंधान तथा प्रोटोटाइप के विकास को बढ़ावा देने के लिए किया गया है।
- **निजी क्षेत्रक द्वारा संचालित अनुसंधान:** निजी क्षेत्रक द्वारा **वाणिज्यिक स्तर** पर अनुसंधान एवं नवाचार को बढ़ावा देने के लिए **1 लाख करोड़ रुपये** के वित्त-पोषण का प्रावधान किया गया है।
- **अंतरिक्ष-आधारित अर्थव्यवस्था: अगले 10 वर्षों** में अंतरिक्ष-आधारित अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ाकर **5 गुना तक करने** के लिए **1,000 करोड़ रुपये** का वेंचर कैपिटल फंड गठित किया जाएगा।

प्राथमिकता 9: अगली पीढ़ी के सुधार

- **आर्थिक नीति फ्रेमवर्क:** इसका उद्देश्य आर्थिक विकास के लिए व्यापक दृष्टिकोण अपनाने और रोजगार के अवसरों को सुविधाजनक बनाने तथा उच्च विकास दर को बनाए रखने के लिए अगली पीढ़ी के सुधारों का दायरा निर्धारित करना है।
  - **सुधारों को आर्थिक प्रोत्साहन देना:** उत्पादन के कारकों (Factors) यानी संसाधनों की उत्पादकता में सुधार करना तथा बाजारों और क्षेत्रकों को अधिक दक्ष बनाने में सहायता करने के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए।
- **राज्य सरकारों द्वारा भूमि-संबंधी सुधार:** ग्रामीण और शहरी, दोनों क्षेत्रों में भूमि-संबंधी सुधार तथा अन्य कार्यवाहियों में निम्नलिखित को कवर किया जाएगा:
  - **भूमि प्रशासन, योजना और प्रबंधन।**
  - **शहरी नियोजन, उपयोग और भवन उप-नियम (बिल्डिंग बायलॉज)।**
    - इन्हें उचित वित्तीय सहायता के जरिए प्रोत्साहन प्रदान करके **अगले 3 वर्षों के भीतर** पूरा किया जाएगा।
- **ग्रामीण भूमि संबंधी कार्यवाहियां: ग्रामीण भूमि संबंधी कार्यवाहियां में निम्नलिखित शामिल होंगे-**
  - सभी भूमियों के लिए **विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या (ULPIN) या भू-आधार** का आवंटन किया जाएगा।
  - भू-राजस्व नक्शा का डिजिटलीकरण किया जाएगा।
  - वर्तमान भू-स्वामित्व के आधार पर नक्शा के उप-विभाजनों का सर्वेक्षण करना।
  - भू-पंजीकरण सुनिश्चित करना।
  - ULPIN को किसानों की भूमि के पंजीकरण से लिंक करना।

- **शहरी भूमि संबंधी कार्यवाहियां:** शहरी क्षेत्रों में भूमि अभिलेखों को GIS मैपिंग के जरिए डिजिटल रूप में उपलब्ध करवाया जाएगा।
- **श्रम संबंधी सुधार:**
  - **इसके तहत ई-श्रम पोर्टल को अन्य पोर्टल्स के साथ** व्यापक रूप से एकीकृत करके **वन-स्टॉप सॉल्यूशन की सुविधा प्रदान की जाएगी।**
  - तेजी से बदलते श्रम बाजार, कौशल आवश्यकताओं और उपलब्ध नौकरियों को एक ही स्थान पर उपलब्ध करवाने के लिए **ओपन आर्किटेक्चर डेटाबेस** तैयार करना।
  - **नौकरी के इच्छुक लोगों को संभावित नियोक्ताओं और कौशल प्रदाताओं से जोड़ने** के लिए मैकेनिज्म तैयार करना।
  - **श्रम सुविधा और समाधान पोर्टल:** उद्योग और व्यापार संबंधी नियमों के पालन को आसान बनाने के लिए पोर्टल्स का नवीनीकरण किया जाएगा।
- **पूंजी और उद्यमिता संबंधी सुधार:**
  - **वित्तीय क्षेत्रक के लिए दृष्टिकोण और रणनीति:** अर्थव्यवस्था की वित्त-पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, केंद्र सरकार अलग-अलग क्षेत्रकों को उनके आकार, क्षमता और कौशल आवश्यकताओं के आधार पर सहायता प्रदान करने के लिए वित्तीय क्षेत्रक के लिए विजन और रणनीति आधारित डॉक्यूमेंट जारी करेगी।
  - **जलवायु वित्त के लिए टैक्सोनॉमी:** जलवायु अनुकूलन और शमन गतिविधियों के लिए पूंजी की उपलब्धता को बढ़ाना। इससे देश की जलवायु संबंधी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने तथा ग्रीन ट्रांजिशन को सुविधाजनक बनाने में मदद मिलेगी।
  - **वेरिएबल कैपिटल कंपनी संरचना:** विमानों और जलपोतों को पट्टे पर लेने के लिए, वित्तपोषण प्रदान करने के लिए एक कुशल और लचीला तरीका प्रदान करने हेतु विधायी मंजूरी प्रदान करना तथा **'वेरिएबल कैपिटल कंपनी संरचना'** के जरिए निजी इक्विटी से वित्तपोषण प्राप्त करना।
  - **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और ओवरसीज निवेश:** निम्नलिखित प्रावधानों के जरिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और ओवरसीज निवेश के लिए नियम और विनियम सरल बनाए जाएंगे-
    - प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देना;
    - प्राथमिकताएं तय करना, और
    - ओवरसीज निवेश के लिए मुद्रा के रूप में भारतीय रुपये का उपयोग के लिए अवसरों को बढ़ावा देना।
- **NPS वात्सल्य:** नाबालिग बच्चों के लिए माता-पिता और अभिभावकों के अंशदान पर आधारित NPS-वात्सल्य योजना शुरू की जाएगी।
- **प्रौद्योगिकी का उपयोग:** अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण की दिशा में प्रौद्योगिकी को अपनाना।
- **ईज ऑफ डूइंग बिजनेस: 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस'** को बढ़ावा देने के लिए, पहले से ही **जन विश्वास विधेयक 2.0** पर काम किया जा रहा है।
  - इसके अलावा, राज्यों को उनके व्यापार सुधार कार्य योजनाओं और डिजिटलीकरण के कार्यान्वयन के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
- **डेटा और सांख्यिकी:** डेटा गवर्नेंस, भंडारण, प्रोसेसिंग में सुधार तथा डेटा और सांख्यिकी के प्रबंधन में सुधार करने के लिए, **डिजिटल इंडिया मिशन** के तहत स्थापित क्षेत्रीय डेटाबेस सहित अलग-अलग क्षेत्रीय डेटाबेस का प्रौद्योगिकी टूल्स की सक्रिय मदद से उपयोग किया जाएगा।
- **नई पेंशन योजना (NPS):** एक सॉल्यूशन विकसित किया जाएगा, जिसके तहत राजकोषीय समझदारी (fiscal prudence) बनाए रखते हुए आम नागरिकों के सुरक्षा संबंधी प्रासंगिक मुद्दों का समाधान किया जा सकेगा।

अप्रत्यक्ष कर

- **GST का सरलीकरण और विस्तार**
  - सरकार कर संरचना को और अधिक सरल व तर्कसंगत बनाने का प्रयास करेगी तथा इसे शेष क्षेत्रकों में भी विस्तारित करने का प्रयास करेगी।
- **व्यापार सुविधा प्रदान करना:** घरेलू विमानन और नौका और जहाज MRO {Maintenance (रखरखाव), Repair (मरम्मत) और Overhaul (कायाकल्प)} को बढ़ावा देकर।
- **सीमा शुल्क में कटौती:** घरेलू विनिर्माण उद्योगों को मदद करना, स्थानीय स्तर पर मूल्यवर्धन को बढ़ावा देना, निर्यात प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना तथा कराधान प्रणाली का सरलीकरण करना।
- **क्षेत्रक विशिष्ट बुनियादी सीमा शुल्क (BCD) प्रस्ताव**

सीमा शुल्क घटाया गया	सीमा शुल्क से छूट दी गई
एक्स-रे उपकरण	कैंसर की दवाइयां: ट्रैस्टुजुमाब डेरक्सटेकन, ओसिमर्टिनिब, और डुर्वालुमाब
मोबाइल फोन और चार्जर	रेसिस्टर्स का उत्पादन
सोना, चांदी और प्लेटिनम	फेरो निकेल, ब्लिस्टर कॉपर, फेरस स्क्रैप और निकल कैथोड
2 क्रिटिकल खनिज	25 क्रिटिकल खनिज
चमड़ा और वस्त्र	सौर सेल और पैनलों के निर्माण में उपयोग की जाने वाली पूंजीगत वस्तुएं
समुद्री उत्पाद	झींगा और फिश फीड के निर्माण के लिए इनपुट

प्रत्यक्ष कर

- **आयकर अधिनियम, 1961 की व्यापक समीक्षा की जाएगी।**
- **नई कर व्यवस्था**
  - **वित्तीय वर्ष** 2022-23 में **कॉर्पोरेट टैक्स** का 58% हिस्सा **नई कर व्यवस्था** के तहत एकत्रित किया गया।
  - 2023-24 में 2/3 से अधिक लोगों ने नई **व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था (New income tax regime)** का लाभ उठाया है।
  - वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए **मानक कटौती** (स्टैंडर्ड डिडक्शन) को 50,000 रुपये से **बढ़ाकर 75,000 रुपये** कर दिया गया।
  - पेंशनभोगियों के लिए **पारिवारिक पेंशन पर कटौती** (डिडक्शन) 15,000 रुपये से **बढ़ाकर 25,000 रुपये** कर दिया गया है।
  - **कर स्लैब में संशोधन किए गए।**
- **धर्मार्थ संस्थाओं और TDS के लिए रिटर्न फ़ाइल करने की प्रणाली का सरलीकरण**
  - धर्मार्थ संस्थाओं के लिए दो अलग-अलग **कर छूट व्यवस्थाओं** का **आपस में विलय** किया जाएगा;
  - कुछ तरह के भुगतानों और ई-कॉमर्स के लिए **TDS दरों में कटौती** की गई है

- म्यूचुअल फंड या UTIs द्वारा यूनिट्स की पुनर्खरीद पर लगाई गई 20% TDS दर को वापस ले लिया गया है।
- कर्मचारी वेतन से TDS की कटौती के बदले TCS क्रेडिट का दावा कर सकते हैं।
- TDS के भुगतान में देरी को **अपराध नहीं माना** जाएगा।

री-असेसमेंट का सरलीकरण

- **रीअसेसमेंट केवल तभी किया जा सकेगा** जब अघोषित आय **50 लाख रुपये से अधिक** हो और मामला **3 से 5 वर्ष पुराना हो**

पूंजीगत लाभ (कैपिटल गेन) का सरलीकरण और युक्तिकरण

- कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों पर **शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन टैक्स** बढ़ाकर 20% किया गया।
- सभी वित्तीय और गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों पर **लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन टैक्स** बढ़ाकर 12.5% किया गया।
- कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों पर **कैपिटल गेन की छूट** सीमा **बढ़ाकर 1.25 लाख रुपए प्रति वर्ष** की गई है।

करदाता सेवाओं का डिजिटलीकरण

- अगले दो वर्षों में इसका डिजिटलीकरण किया जाएगा।

मुकदमेबाजी और अपील

- आयकर विवादों के समाधान के लिए **'विवाद से विश्वास योजना, 2024'** शुरू की गई है।
- कर न्यायाधिकरणों, उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में कर संबंधी विवादों के विरुद्ध **अपील दायर करने के लिए न्यूनतम मौद्रिक सीमा बढ़ाई गई** है।
- मुकदमेबाजी को कम करने और अंतर्राष्ट्रीय कराधान में निश्चितता सुनिश्चित करने के लिए **सेफ हार्बर रूल्स का विस्तार** किया गया है।

रोजगार और निवेश

- स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए सभी वर्गों के निवेशकों के लिए **एंजल टैक्स को समाप्त** कर दिया गया है।
- भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए घरेलू स्तर पर क्रूज संचालन करने वाली **विदेशी शिपिंग कंपनियों के लिए सरल कर व्यवस्था** लागू की जाएगी।
- **विदेशी कंपनियों पर कॉर्पोरेट कर** की दर 40% से **घटाकर 35%** कर दी गई है।

कर आधार (टैक्स बेस) को बढ़ाना

- प्रतिभूतियों के **फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स दरें बढ़ाई गई** है।
- कंपनियों द्वारा बाजार में जारी किए गए अपने ही **शेयरों की पुनर्खरीद (Buyback)** से प्राप्त आय पर **कर लगाया जाएगा।**

सामाजिक सुरक्षा लाभ (Social Security Benefits)

- **नियोक्ता द्वारा NPS के लिए कर्मचारियों के वेतन से की जाने वाली कटौती** की राशि उनके वेतन के 10% से बढ़ाकर 14% तक की जाएगी।
- 20 लाख रुपये मूल्य तक की छोटी चल विदेशी संपत्तियों की जानकारी न देने पर जुर्माने का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है।

वित्त विधेयक में अन्य प्रमुख प्रस्ताव

- 2% का **इक्विलाइजेशन लेवी** को वापस ले लिया गया है।
- अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (IFSCs) में स्थापित कुछ फंड्स और यूनिट्स को भी कर छूट का प्रावधान किया गया है।
- **बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988** के तहत **दोषसिद्धि प्रक्रिया में सुधार** के लिए पूर्ण और सत्य प्रकटीकरण पर **बेनामीदार को दंड और अभियोजन से छूट** प्रदान की गई है।

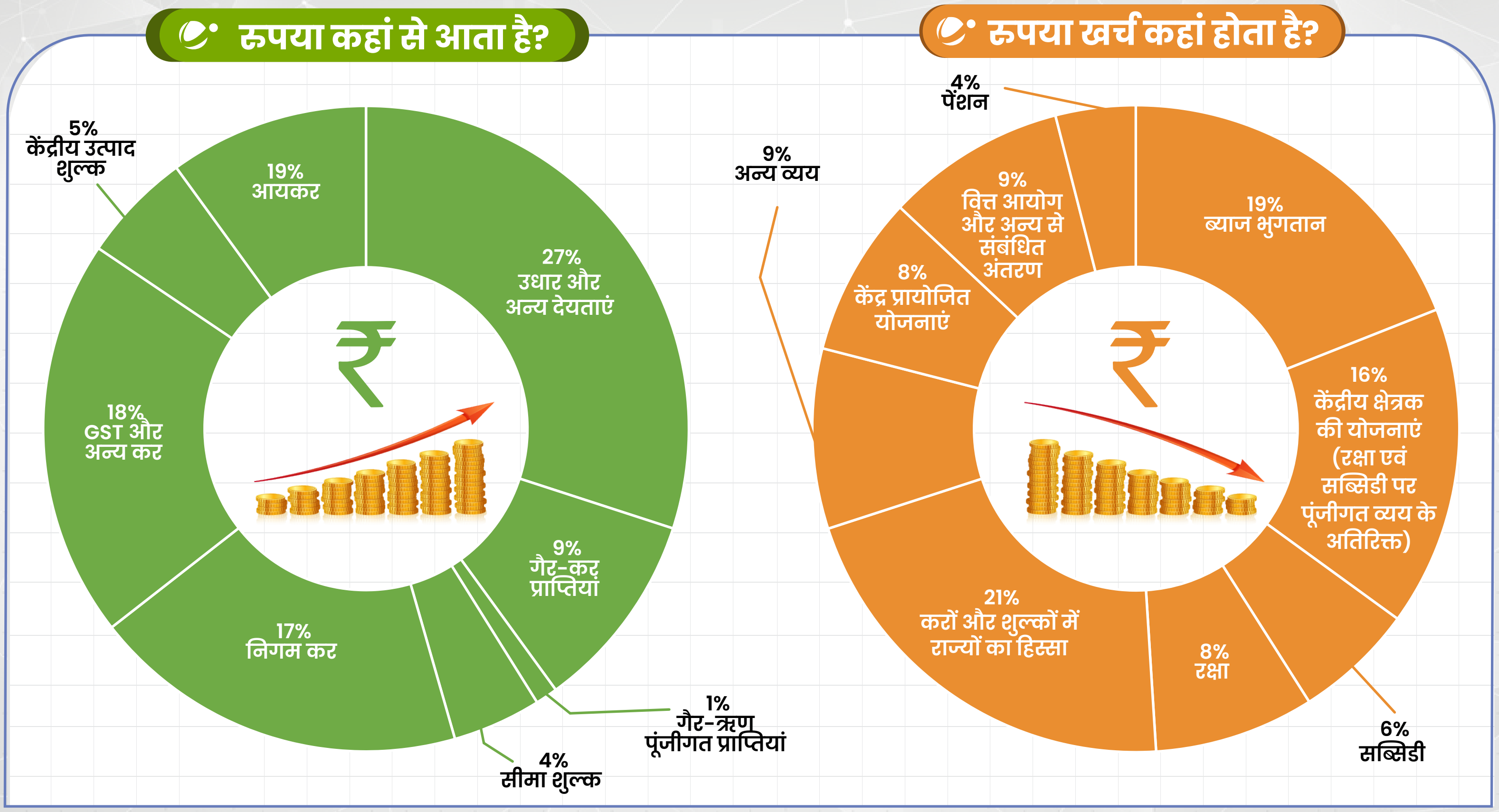

ऑल इंडिया मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज़

देश के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट सीरीज़ प्रोग्राम के इनोवेटिव असेसमेंट सिस्टम का लाभ उठाएं

- ✓ सामान्य अध्ययन
- ✓ निबंध
- ✓ दर्शनशास्त्र

निबंध : 28 जुलाई

ENGLISH MEDIUM 2024: 28 JULY
हिन्दी माध्यम 2024: 28 जुलाई

ENGLISH MEDIUM 2025: 28 JULY
हिन्दी माध्यम 2025: 28 जुलाई

Scan the QR CODE to download VISION IAS app

शब्दावली

मूल सीमा शुल्क	मूल सीमा शुल्क **उन वस्तुओं पर लगाया जाने वाला कर है, जिन्हें व्यापार के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार** ले जाया जाता है। इसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत वसूला जाता है।
पूंजीगत लाभ कर (कैपिटल गेन टैक्स)	यह **बॉण्ड धारक की संपत्ति के मूल्य में वृद्धि** होने पर लगाया जाने वाला कर है। संपत्ति में होने वाली यह वृद्धि बॉण्ड बाजार में बॉण्ड की कीमत में वृद्धि या कमी के कारण होती है।
डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI)	• यह **बुनियादी अवसंरचना-आधारित अप्रोच है। यह सार्वजनिक हित में निर्मित एक इकोसिस्टम** (जिसमें प्रौद्योगिकी, मार्केट और गवर्नेंस शामिल है) के माध्यम से सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करती है, और विनियामक सुरक्षा के दायरे में प्रतिस्पर्धी निजी नवाचार का लाभ उठाती है। • DPI को भारत में 2009 में पेश किया गया था, जब "आधार नंबर" को पहली बार लॉन्च किया गया था।
इक्विलाइजेशन लेवी	• यह भारत में आय सृजित करने वाले विदेशी (नॉन-रेजिडेंट) ई-कॉमर्स कंपनियों के **लेन-देन यानी आय पर लगाया जाने वाला शुल्क** है।
राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS)	• राष्ट्रीय पेंशन योजना भारत में निर्धारित-**अंशदान आधारित पेंशन प्रणाली** है। इसे **पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) द्वारा विनियमित** किया जाता है। PFRDA, केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आता है।
सेफ हार्बर रूल्स	• इस क्लॉज के तहत, **यदि किसी फंड का भारत में कोई व्यावसायिक संबंध नहीं है, तो उसे छूट दी जाएगी।**
सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स (STT)	• प्रतिभूति लेनदेन कर यानी **सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स** एक प्रकार का **प्रत्यक्ष कर** है जो स्टॉक एक्सचेंजों में इक्विटी शेयर, डेरिवेटिव (फ्यूचर एंड ऑप्शन) और इक्विटी म्यूचुअल फंड यूनिट्स जैसी **प्रतिभूतियों की बिक्री पर लगाया जाता है।**
स्रोत पर कर कटौती (TDS)	• TDS वह कर है जो किसी कंपनी द्वारा **किसी व्यक्ति को किए गए भुगतान (पेमेंट) पर तब वसूला जाता है, यदि भुगतान की गई राशि एक निश्चित सीमा से अधिक** होती है।
स्रोत पर कर संग्रह (TCS)	• TCS वह कर है जो **विक्रेताओं द्वारा खरीदारों को कोई वस्तु बेचते समय एकत्र** किया जाता है।
ट्रेड रिसीवेबल्स इलेक्ट्रॉनिक डिस्काउंटिंग सिस्टम (TReDS)	• TReDS एक **इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफ़ॉर्म** है जो कई फाइनेंसर्स के जरिए **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को औद्योगिक खरीदारों से व्यापार प्राप्तियों के वित्तपोषण/ छूट (डिस्कॉउंटिंग) की सुविधा** प्रदान करता है। • यह MSME के लिए व्यापार प्राप्तियों की शीघ्र प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए नीलामी तंत्र के जरिए **इनवॉइस से छूट की सुविधा** प्रदान करता है।

बजट से संबंधित प्रमुख संवैधानिक प्रावधान

अनुच्छेद	प्रावधान
अनुच्छेद 109	धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया
अनुच्छेद 110	धन विधेयक की परिभाषा
अनुच्छेद 112	वार्षिक वित्तीय विवरण
अनुच्छेद 113	संसद में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया
अनुच्छेद 114	विनियोग विधेयक
अनुच्छेद 115	अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान
अनुच्छेद 116	लेखानुदान, प्रत्ययानुदान और अपवादानुदान
अनुच्छेद 117	वित्त विधेयकों के संबंध में विशेष प्रावधान
अनुच्छेद 150	संघ और राज्यों के खातों का प्रारूप
अनुच्छेद 151	लेखा-परीक्षा रिपोर्ट
अनुच्छेद 265	कानून के प्राधिकार के बिना कर नहीं लगाए जाने चाहिए
अनुच्छेद 266	संघ और राज्यों की संचित निधि और सार्वजनिक खाते
अनुच्छेद 267	आकस्मिक निधि
अनुच्छेद 275	संघ से कुछ राज्यों को अनुदान
अनुच्छेद 280	वित्त आयोग
अनुच्छेद 281	वित्त आयोग की सिफारिशें
अनुच्छेद 292	भारत सरकार द्वारा उधार लेना

VISION IAS
INSPIRING INNOVATION

OUR ACHIEVEMENTS

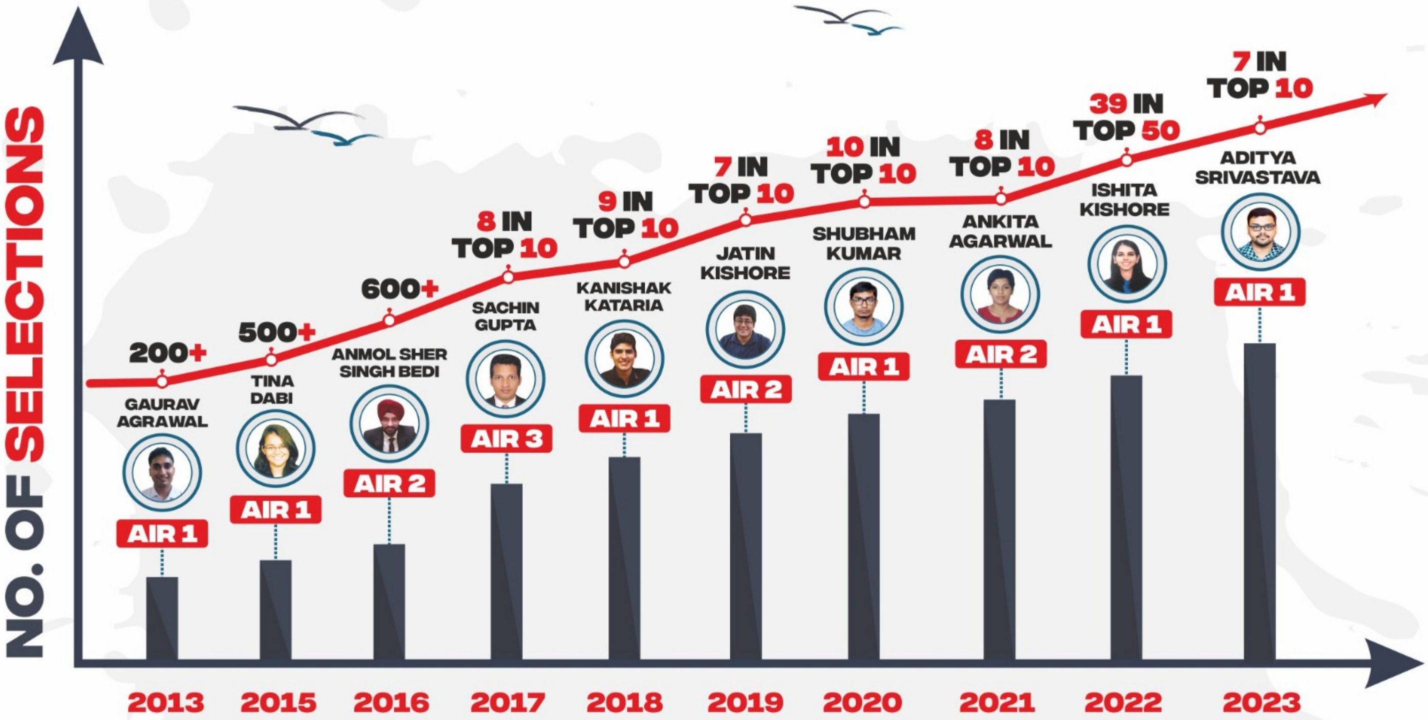

LIVE/ONLINE Classes Available

www.visionias.in

Foundation Course
GENERAL STUDIES
PRELIMS cum MAINS 2025

DELHI: 12 AUG, 9 AM | 14 AUG, 1 PM | 17 AUG, 5 PM
29 JULY, 1 PM | 30 JULY, 9 AM | 31 JULY, 5 PM

GTB Nagar Metro (Mukherjee Nagar):
19 JULY, 8:30 AM | 23 JULY, 5:30 PM

AHMEDABAD: 20 AUG | BENGALURU: 12 & 18 JULY | BHOPAL: 18 JULY | CHANDIGARH: 18 JULY

HYDERABAD: 12 AUG | JAIPUR: 6 AUG | JODHPUR: 11 JULY | LUCKNOW: 17 JULY | PUNE: 5 JULY

फाउंडेशन कोर्स सामान्य अध्ययन 2025

▸ प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा और निबंध के लिए महत्वपूर्ण सभी टॉपिक का विस्तृत कवरेज

DELHI: 22 अगस्त, 1 PM | 18 जुलाई, 1 PM | BHOPAL: 23 जुलाई | LUCKNOW: 18 जुलाई | JAIPUR: 16 अगस्त | JODHPUR: 11 जुलाई

Scan the QR CODE to download VISION IAS App. Join official telegram group for daily MCQs & other updates.

/visionias.upsc | /c/VisionIASdelhi | /c/VisionIASdelhi | /t.me/s/VisionIAS_UPSC

DELHI: HEAD OFFICE: 1st floor, Apsara Arcade, Near Gate-7 Karol Bagh Metro Station, 1/8 b, Pusa Road, Karol Bagh, Delhi – 110005 | CONTACT: 8468022022, 9019066066

AHMEDABAD | BENGALURU | BHOPAL | CHANDIGARH | GUWAHATI | HYDERABAD | JAIPUR | JODHPUR | LUCKNOW | PRAYAGRAJ | PUNE | RANCHI

Heartiest
Congratulations
to all Successful Candidates

79 in **TOP 100** Selections in **CSE 2023**
from various programs of **Vision IAS**

1 AIR
Aditya Srivastava

2 AIR Animesh Pradhan
5 AIR Ruhani
6 AIR Srishti Dabas
7 AIR Anmol Rathore
9 AIR Nausheen
10 AIR Aishwaryam Prajapati

हिंदी माध्यम में 35+ चयन CSE 2023 में

हिंदी माध्यम टॉपर

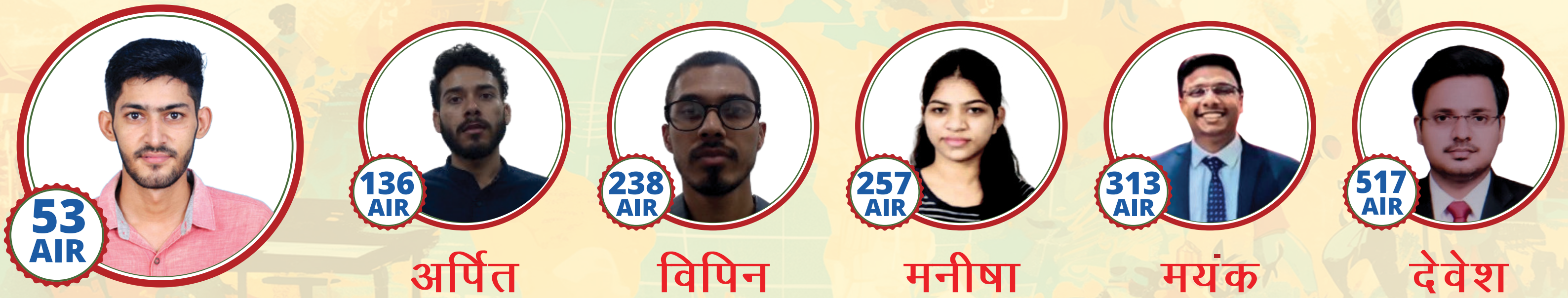

53 AIR मोहन लाल
136 AIR अर्पित कुमार
238 AIR विपिन दुबे
257 AIR मनीषा धार्वे
313 AIR मयंक दुबे
517 AIR देवेश पाराशर

UPSC TOPPERS/OPEN SESSION: QR स्कैन करें

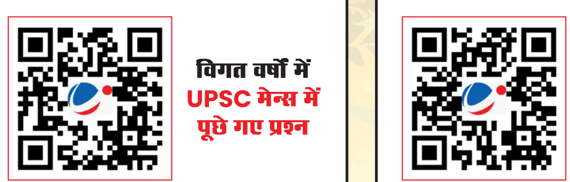

विगत वर्षों में UPSC मेन्स में पूछे गए प्रश्न

UPSC मेन्स 2024 के लिए व्यापक रणनीति

HEAD OFFICE
Apsara Arcade, 1/8-B 1st Floor, Near Gate-6 Karol Bagh Metro Station
DELHI

MUKHERJEE NAGAR CENTER
Plot No. 857, Ground Floor, Mukherjee Nagar, Opposite Punjab & Sindh Bank, Mukherjee Nagar

GTB NAGAR CENTER
Classroom & Enquiry Office, above Gate No. 2, GTB Nagar Metro Building, Delhi - 110009

FOR DETAILED ENQUIRY
Please Call:
+91 8468022022,
+91 9019066066

enquiry@visionias.in | /c/VisionIASdelhi | /visionias.upsc | /vision _ias | VisionIAS_UPSC